बिहार सरकार
उद्योग विभाग

" सूचना "

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 एवं पूर्व की किसी भी औद्योगिक नीति (औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006, समेकित खाद्य प्रसंस्करण योजना, 2008, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म, 2022) से आच्छादित कोई भी इकाई जो अनुदान प्राप्त करने की सारी अहर्ता को पूरी करती हो वित्तीय वर्ष 2023–24 के दूसरे तिमाही अर्थात जुलाई, 2023 से सितम्बर, 2023 तक के अनुमान्य अपने सभी अनुदान दावा से संबंधित आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल swc2.bihar.gov.in दिनांक–01.10.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक–30.11.2023 के 5:00 बजे अपराह्न तक खुला रहेगा। अतः निवेशक इस समयावधि में अनिवार्य रूप से अपना आवेदन ऑनलाईन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी अन्य माध्यम तथा उक्त निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा।

वैसे इकाईयाँ जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के दूसरे तिमाही अर्थात जुलाई, 2023 से सितम्बर, 2023 तक के अनुमान्य दावों के लिये विभागीय पोर्टल swc2.bihar.gov.in पर दिनांक–30.11.2023 के 5:00 बजे अपराह्न तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उन्हें उक्त अवधि के अनुमान्य दावों के लिये भविष्य में विभागीय पोर्टल swc2.bihar.gov.in पर किसी भी परिस्थिति में आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

साथ ही एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि आगामी वित्तीय वर्षो के तिमाही के अनुमान्य अपने सभी अनुदान दावा से संबंधित आवेदन विभागीय पोर्टल swc2.bihar.gov.in पर ऑनलाईन दाखिल करने की समय सीमा निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है:–

वित्तीय वर्ष	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	ऑनलाईन आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि
प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून)	01, जून	31, जुलाई 5:00 बजे अपराह्न तक
दूसरा तिमाही (जुलाई से सितम्बर)	01, अक्टूबर	30, नवम्बर 5:00 बजे अपराह्न तक
तीसरा तिमाही (अक्टूबर से दिसम्बर)	01, जनवरी	28 / 29, फरवरी 5:00 बजे अपराह्न तक
चौथा तिमाही (जनवरी से मार्च)	01, अप्रैल	31, मई 5:00 बजे अपराह्न तक

उप सचिव,
–सह–
प्रभारी पदाधिकारी,
राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।